



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 694) पटना, वृहस्पतिवार, 27 दिसम्बर 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 दिसम्बर 2012

सं0 एल0जी0-1-15/2012/443/लेज:1—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 23, 2012]

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1—(1) यह अधिनियम बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-8 में संशोधन 1—उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-8 के खंड (छ) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (ज) जोड़ा जायेगा:-

“(ज) सौर ऊर्जा के लिए उपयोग की भूमि।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

27 दिसम्बर 2012

सं० एल०जी०-1-15/2012/444/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर 2012 को अनुमत बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR AGRICULTURE LAND (CONVERSION FOR NON-AGRICULTURE PURPOSES) (AMENDMENT) ACT, 2012

[Bihar Act 23, 2012]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR AGRICULTURE LAND (CONVERSION FOR NON-AGRICULTURE PURPOSES) ACT, 2010

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section 8 of The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010.- The following new clause (h) shall be added after clause (g) of section 8 of the said Act, 2010:-

"(h) Land used for solar energy."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 694-571+400-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>